न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 केम्प डोरडा

पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या – 39/2015

वादीगण :–

1. वडगाराम पुत्र थाना
2. फुलाराम पुत्र थाना
3. सांकलाराम पुत्र केसीया
4. राजाराम पुत्र केसीया
5. मालाराम पुत्र केसीया
6. धरोपी पत्नी स्व. केसीया
7. मोहन पुत्र भूबा
8. दिनेश पुत्र भूबा
9. ढेली पत्नी स्व. भूबा
10. छोगा पुत्र हकमीया

जातियान मेगवंशी निवासीगण गोलाणा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

प्रतिवादीगण :–

1. कालीया पुत्र रणछोडा
2. आम्बा पुत्र रणछोडा
3. स्व. अजा पुत्र भीखा के कायम मुकाम :–

3/1 लेहरीदेवी पत्नी अजा

3/2 सोमाराम पुत्र अजा (फौत)

3/2/1 टीपूदेवी पत्नी सोमाराम

3/2/2 जयंतीराम पुत्र सोमाराम

3/2/3 प्रकाश पुत्र सोमाराम

प्रतिवादी संख्या 3/2/2 जंयतीलाल व 3/2/3 प्रकाश नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता प्रतिवादी संख्या 3/2/1 टीपूदेवी पत्नी सोमाराम

3/3 रमेशकुमार पुत्र अजा

3/4 छगनलाल पुत्र अजा

4. गणेशा पुत्र भीखा
5. काली पुत्री भीखा

जातियान मेगवंशी निवासीगण गोलाणा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

6. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 24/5/18

वादीगण द्वारा एक दावा बाबत् घोषणा खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तोला पुत्र जीवा के वंशज है। तोला के तीन पुत्र जगला, खुमा व रणछोडा पैदा हुए, जिनका देहान्त हो गया है। जगला के पुत्र केसीया थाना व भुबा हुए इनका भी देहान्त होने पर उनके वारिस क्रमशः वादी संख्या 1 से 9 है। इसी

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज)

Scanned by CamScanner

(113)

प्रकार खुमा के एक पुत्र हकमीया हुआ एवं उसका देहान्त होने पर वारिस वादी संख्या 10 है। इसी प्रकार रणछोडा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती व पुश्तेनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा गोलाणा में पुराने खसरा नम्बर 263 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा , खसरा नम्बर 265 रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 485 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 486 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 786 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 81 बीघा 3 बिस्वा थी, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज जगला, खुमा व रणछोडा का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पूर्वज भीखा का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था। जगला पुत्र तोला के फौत होने पर उसके स्थान पर उसके वारिस केसीया, थाना, भूबा एवं खुमा पुत्र तोला के फौत होने पर उसके वारिस हकमीया का नाम दर्ज किया गया एवं रणछोडा पुत्र तोला का नाम यथावत रखा। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से 2/3 दर्ज हुई। जमाबंदी चौसाला संवत् 2031 से 2034 तैयार करते वक्त जगला के वारिस केसीया, थाना, भूबा एवं खुमा के वारिस हकमीया तथा रणछोडा पुत्र तोला के फौत होने पर उसके वारिस कालीया व आम्बा का नाम दर्ज किया जाकर इनके नाम से 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पूर्वज भीखा के नाम भी 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। जबकि जगला, खुमा व रणेछोडा के वारिसान के नाम उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में 2/3 दर्ज की जानी चाहिए थी, मगर राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा भूलवश व त्रुटिवश 2/3 के स्थान पर 1/3 दर्ज की गई, जो त्रुटि लिपिकीय व सद्भावी त्रुटि थी। तत्पश्चात जमाबंदी चौसाला संवत 2035–2038 में उक्त सद्भावी व लिपिकीय त्रुटि को दोहराते हुए जगला के वारिस केसीया, थाना, भूबा, खुमा के वारिस हकमीया के नाम 1/3, रणछोडा के वारिस कालीया व आम्बा के नाम 1/3 एवं भीखा पुत्र नथा के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। इस प्रकार राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने रणछोडा के वारिस कालीया व आम्बा के नाम अपने अधिकार से परे जाकर अलग से 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि केसिया, थाना, भूबा पि. जगला हकमीया पुत्र खुमा व कालीया, आम्बा पि. रणछोडा के नाम संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना कानूनीया रूप से आवश्यक था, जो नही कर राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गैर कानूनी कृत्य किया है। कालान्तर मे ग्राम गोलाणा में रिसेटलमेंट होने से पुराने खसरा नम्बर 263 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा , खसरा नम्बर 485 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 486 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 786 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 81 बीघा 3 बिस्वा के रिबंदौबस्त मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 462 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 911 रकबा 2.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1647 रकबा 5.00 हैक्टेयर कुल रकबा 13.33 हैक्टेयर सृजित किये गये। नवीन खसरा नम्बर 462, 464, 909, 910, 911, 912, 913, 915 व 1647 जुमले रकबा 13.33 हैक्टेयर में केसीया के फौत होने पर सांकलाराम, राजाराम, मालाराम पि. केसीया, मु. धरोपी बेवा केसीया, थाना के फौत होने पर उसके वारिस बडगाराम, फुलाराम पि.

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

(114)

थान, भूबा के फौत होने पर उसके वारिस मोहन, दिनेश पि. भूबा, ढेली बेवा भूबा, हकमीया के फौत होने पर छोगा वल्द हकमीया 1/3, रणछोडा के फौत होने पर कालीया, आम्बा पि. रणछोडा 1/3 तथा भीखा के फौत होने पर उसके वारिस अजा, गणेशा पि. भीखा व उसकी पुत्री काली 1/3 कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तोला वारिसान है, जिनका उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्सा संयुक्त रूप से बनता है। जबकि राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर त्रुटिवश लिपिकीय भूल से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खाते को पृथक पृथक करते हुए वादीगण के हिस्से मे 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में 1/3 हिस्सा दर्ज किया जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से पर कब्जा काश्त निरतंर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अलग से 1/3 हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नही है। बिनायदावा पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से 2/3 दर्ज करवाने का निवेदन किया तो वे इन्कार हो गये। अतः वादीगण की इस्तदुआ है कि सरहद मौजा गोलाणा के नवीन खसरा नम्बर 462 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वेरा, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 911 रकबा 2.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1647 रकबा 5.00 हैक्टेयर कुल रकबा 13.33 हैक्टेयर आराजी पुश्तैनी आराजी होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/3 हिस्से को जरिए खातेदारी घोषणा के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सामलात में 2/3 हिस्से की राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे तथा इस आशय की घोषणात्मक डिक्री की तहरीर प्रतिवादी संख्या 6 के नाम जारी की जावे। साथ ही माफिक इस्तदुआ स्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल है।

पत्रावली आज बमुकाम डोरडा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 मे पेश हुई । वादीगण मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर लिखित राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण बडगाराम, फुलाराम, पिसरान थाना, सांकलाराम, राजाराम, मालाराम पिसरान केसीया, धरोपा पत्नी स्व. केसीया, मोहन, दिनेश पिसरान भूबा, ढेली पत्नी स्व. भूबा, छोगा पुत्र हकमीया जातियान मेगवंशी निवासीगण गोलाणा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः कालीया पुत्र रणछोडा, आम्बा पुत्र रणछोणा जातियान मेगवंशी निवासीगण गोलाणा तहसील जसवंतपुरा ने पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अदालत श्रीमान में सरहद मौजा गोलाणा के नवीन खसरा नम्बर 462 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वेरा, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 911 रकबा 2.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1647 रकबा 5.00 हैक्टेयर कुल रकबा

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

13.33 हैक्टेयर आराजी पुश्तैनी आराजी होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/3 हिस्से को जरिए खातेदारी घोषणा के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सामलात में 2/3 हिस्से की राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाने की घोषणात्मक डिक्री व इसी माफिक स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने हेतु दावा पेश किया गया था। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कुटुम्बी भाई है। हमारे आपस में लोक अदालत की प्रेरणा से एवं आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 उक्त वाद में मात्र औपचारिक पक्षकार है, इनके विरूद्ध वादीगण ने कोई अनुतोष नही चाहा है। इसलिये उन्हे राजीनामा में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित नही है। राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई उजर एतराज नही है। उक्त राजीनामा पर दोनो पक्षो द्वारा हस्ताक्षर/निशान अंगुष्ठ किये हुए है। इस पर दोनो पक्षकारान ने उक्त राजीनामा पूर्ण सहमति, रजामंदी व बिना किसी दबाव लोक अदालत की भावना से किये जाना अवगत कराया फलस्वरूप राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया चूंकि उक्त प्रकरण मे पक्षकारान के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत हुआ है इसी माफिक अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः माफिक राजीनामा पक्षकारान डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :–

सरहद मौजा गोलाणा के नवीन खसरा नम्बर 462 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 911 रकबा 2.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1647 रकबा 5.00 हैक्टेयर कुल रकबा 13.33 हैक्टेयर आराजी पुश्तैनी आराजी होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के 1/3 हिस्से एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/3 हिस्से को जरिए खातेदारी घोषणा के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सामलात में 2/3 हिस्से की राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है।

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है पक्षकारान के खातेदारी हक मे आई आराजी के एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी न तो स्वयं करे एवं न ही किसी से करावे। तहसीलदार भीनमाल को निर्णय की प्रति मय माफिक रार्जीनामा की प्रति राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हेतु भेजी जावे। डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 केम्प डोरडा में मजमे आम मे सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner